न्यायालय – सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर, जिला बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस. जिला न्यायाधीश संवर्ग,
प्रकरण संख्या	:	294/2026 फौजदारी विविध (CIS No. 570/2026)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	175/2026 पुलिस थाना शिव बाड़मेर, अपराध अंतर्गत धारा 331(4), 305(ई) बी.एन.एस. 2023

(1.) ललित पुत्र प्रेमाराम,
(2.) गोविन्ददान पुत्र जैतुदान,
निवासीयानः– शिव पुलिस थाना शिव, जिला बाड़मेर

–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरुद्ध

राजस्थान राज्य

– अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित :–

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से	:	श्री उपेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री दामोदर कुमार चौधरी, लोक अभियोजक

आदेश दिनांक : 17.07.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.06.2026 को परिवादी श्रवण कुमार चौहान पुत्र निम्बाराम ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय का पेश की कि दिनांक 19.06.2026 को कार्यालय को बंद करके गए थे। शनिवार एवं रविवार राजकीय अवकाश के पश्चात् दिनांक 22.06.2026 को प्रातः 9:30 बजे कार्यालय स्टाफगण के आने पर देखा तो खिड़कियां टूटी हुई पाई गई तथा कार्यालय का मुख्य दरवाजा खोलने पर कार्यालय के अंदर उपकोषाधिकारी रूम तथा स्टाफगण रूम के दरवाजे के कुटे टूटे हुए पाए गए तथा अंदर देखने पर प्रथम दृष्ट्या निम्नलिखित सामग्री चोरी हुई पाई गई। इन्वेटर–2, बैटरी सैट–4, पानी की मोटर–1, पंखा–2, परदे, तोलिया, कैमरा–1(कैमरा सिस्टम पूरा तोड़ दिया एवं सामग्री साथ ले गए), wifi connecter तोड़ दिया, अन्य अज्ञात सामग्री तथा कार्यालय का सामान पूरा तोड़–फोड़ कर बिखेर दिया। इत्यादि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या

175/2026 अपराध अंर्तगत धारा 305(ए) बीएनएस के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दिनांक 15.07.2026 को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेजा गया, जिस पर विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा विद्वान् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव, बाड़मेर के समक्ष जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पेश किया गया, जिसे विद्वान् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव, बाड़मेर द्वारा दिनांक 16.07.2026 को खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गोविन्ददान व ललित ने यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अधीन पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अनुसंधान पत्रावली तलब की गई। बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है। प्रार्थीगण से कोई बरामदगी या अनुसंधान बकाया नहीं है। प्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। प्रार्थीगण दिनांक 15.07.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण अन्वेषणाधीन है, जिसके अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की संभावना होना बताकर उसे जमानत पर छोड़ने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

3. उभय पक्षकारान् के तर्कों पर विचार किया एवं अनुसंधान पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत S.B.Cri. Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिए गए निर्देशानुसार पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गोविन्ददान व ललित के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त 01 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का अंकन किया गया है, जो निम्न है :–

क्रम संख्या	मुकदमा संख्या	धारा	पुलिस थाना	नतीजा
1.	142/26.05.2026	331(4), 305(ई) बी.एन.एस.	शिव, बाड़मेर	अनुसंधानरत

5. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 331(4), 305(ई) बी.एन.एस., 2023 का आरोप प्रमाणित माना गया है, उक्त आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है। हालांकि, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधानरत होना बताया गया है, परंतु प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं बताई गई है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी या अनुसंधान बकाया नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 15.07.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण अन्वेषणाधीन है, जिसके अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

6. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ललित पुत्र प्रेमाराम व गोविन्ददान पुत्र जेतुदान की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त एक–एक लाख का स्वयं का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रुपए की दो मौतबीर जमानतें प्रकरण के विचारण मध्य नियमित रूप से उपस्थिति हेतु विद्वान् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव, बाड़मेर के समक्ष उनकी संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 175/2026 पुलिस थाना शिव, जिला बाड़मेर अपराध अंतर्गत धारा 331(4), 305(ई) बी.एन.एस. में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर (राज.)

7. आदेश आज दिनांक 17.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

VINITA DHANWANI
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by VINITA DHANWANI
Date: 2026.07.17 16:26:21 +0530

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर (राज.)